रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-01012021-224077
CG-AP-E-01012021-224077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942
No. 569] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 28 दिसम्बर 2020

फा. सं. आईआरडीएआई/गैर जीवन बीमा /5/171/2020.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना, अर्थात् – "अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी), 2001 की कुछ जोखिमों के लिए अधिसूचना का निरस्तीकरण" बनाता है।"

1. यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए (1) सी के अधीन जारी की जाती है जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 64 यूसी के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित दरों, लाभों और शर्तों से संबंधित अधिसूचना को निरस्त करने की व्यवस्था करता है, जिनके बारे में यह माना गया कि वे अधिसूचना का ऐसा निरस्तीकरण होने तक लगातार प्रचलित होंगे।
2. वर्ष 2006 में, प्रशुल्क सलाहकार समिति के द्वारा प्रशुल्कों के प्रत्याहरण के अनुसरण में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संदर्भ 034/आईआरडीए/डी-टैरिफ़/दिसं.-06 दिनांक 4 दिसंबर 2006 जारी की कि प्रशुल्क संबंधी सामान्य विनियम (रेटिंग से संबधित को छोड़कर अन्य), व्यवसाय के कुछ वर्गों, जैसे अग्नि (फायर), इंजीनियरिंग, मोटर, कामगार प्रतिकर तथा बीमाओं के अन्य वर्गों के लिए लागू शर्तों, निबंधनों, खंडों, वारंटियों, पालिसी और ऐड-आन पृष्ठांकन वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म जो उस समय प्रशुल्कों के अंतर्गत विद्यमान थे, का अनुसरण करना अगले आदेशों के निर्गत होने तक जारी रहेगा।
3. प्रीमियम की दरों के लिए साधारण बीमा उत्पादों की फाइलिंग करने पर वर्तमान विनियामक ढाँचे के अनुपालन के अधीन परिवर्ती होने की अनुमति दी गई थी।

4. अब बीमा अधिनियम की धारा 64 यूएलए (1) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों के आधार पर इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार **धाराओं I, II, III, IV, V, VI और VII तथा संबंधित अनुबंधों के अंतर्गत** पूर्व के अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क 2001 द्वारा नियंत्रित अग्नि (फायर) और संबद्ध संकटों से संबंधित बीमा व्यवसाय के निम्नलिखित जोखिमों के लिए लागू प्रशुल्क संबंधी सामान्य विनियम, शर्तें, निबंधन, खंड, वारंटियाँ, पालिसी, ऐड-आन पृष्ठांकन वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म विषयक अधिसूचना **1 अप्रैल 2021 से** निरस्तीकृत रहेगी।

(क) निवासः कोई भी बीमित राशि

(ख) कार्यालय, होटल, दुकान, औद्योगिक/ विनिर्माण जोखिम, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के दायरे से बाहर स्थित उपयोगी वस्तुएँ, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के दायरे से बाहर भंडारण जोखिम तथा टैंक फार्म/ औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के दायरों के बाहर गैस होल्डर जहाँ किसी एक स्थान पर विद्यमान जोखिम पर कुल मूल्य सभी आस्ति वर्गों को सम्मिलित करते हुए रु. 50 करोड़ से अधिक नहीं हो।

5. तदनुसार, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि **1 अप्रैल 2021 से,** ऊपर 4(क) और 4(ख) में उल्लिखित जोखिमों के लिए अग्नि और संबद्ध जोखिम बीमारक्षा कवर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये तथा समय-समय पर संशोधित विनियमों और/या दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

6. सभी अन्य जोखिमों का, पूर्व के अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी), 2001 द्वारा नियंत्रित होना अगली अधिसूचना तक जारी रहेगा।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./429/2020]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 28th December, 2020

F. No. IRDAI/Non-Life Insurance/5/171/2020.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby makes the following notification, namely:- "De-notification of All India Fire Tariff (AIFT),2001 for certain risks."

1. This notification issued in terms of Section 64 ULA (1) of the Insurance Act, 1938 provides for de-notification of the rates, advantages and terms and conditions laid down by the Tariff Advisory Committee under Section 64 UC of the said Act which were deemed to continue to be in force until such de-notification.

2. In the year 2006, pursuant to the withdrawal of tariffs by the Tariff Advisory Committee, the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("Authority") in exercise of powers vested in it under Section 14(2)(i) of the IRDA Act, 1999, issued notification Ref.034/IRDA/De-Tariff/Dec-06 dated 4th December, 2006 that the Tariff general regulations (other than those relating to rating), terms, conditions, clauses, warranties, policy and endorsement wordings applicable to certain classes of business such as Fire, Engineering, Motor, Workmen's Compensation and other classes of insurances which were then under tariffs shall continue to be followed until further orders.

3. The rates of premium were allowed to be varied subject to compliance with the extant regulatory framework on filing of general insurance products.

4. Now, by virtue of powers vested with the Authority under Section 64 ULA (1) of the Insurance Act,1938 it is hereby notified that the tariff general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy, add-ons, endorsement wordings and proposal form applicable to the following risks of Fire and Allied Perils insurance business governed by the erstwhile All India Fire Tariff, 2001 **under Sections I, II, III, IV, V, VI and VII, and the relevant annexures, as per details given below** stand de-notified **with effect from 1st April, 2021**.

(a) Dwellings: Any Sum Insured

(b) Offices, Hotels, Shops, Industrial/Manufacturing risks, Utilities located outside the compound of industrial/manufacturing risks, Storage risks outside the compound of industrial/manufacturing risks and

Tank farms/Gas holders outside the compounds of industrial/manufacturing risks where the total value at risk does not exceed Rs.50 Crores across all asset classes at any one location.

5. Accordingly, it is hereby notified that **with effect from 1st April, 2021**, Fire and Allied perils covers for the risks mentioned in 4(a) and 4 (b) above shall be subject to the Regulations and/or Guidelines enunciated in this regard by the Authority and amended from time to time.

6. All other risks shall continue to be governed by the erstwhile All India Fire Tariff (AIFT), 2001 until further notification.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.III/4/Exty./429/2020]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.01 17:30:27 +05'30'